फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

राजस्थान सरकार बनाम केशर सिंह वगै0

मुकदमा न0 304 / 2021

केस्म मुकदमा धारा दावा 177

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.03.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र समरी ट्रायल से प्रभावित है। बहस सुनी गई। अतः भूमि खेत ख0न0 61 रकबा 0.2611 है0 स्थित ग्राम पिलोद तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, फर्द मौका, से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में उक्त खसरा अकृषि कार्यो के लिए काम आ रहा है। अतः वाद वादीगण को स्वीकार किया जाता है। उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 177 के तहत कार्यवाही निर्णीत किया जाना विधिसम्मत है। राज पैरोकार ने मौखिक बहस कर संदर्भित भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178(1) के तहत सिवायचक घोषित किया जाकर, खातेदार/कब्जेदार/अतंरक/अंतरिति के बेदखल करने का निवेदन किया। अतः उक्तानुसार गुणावगुण के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सूरजगढ़ को संदर्भित भूमि ख0न0 61 रकबा 0.2611 है0 स्थित ग्राम पिलोद को राजहक में सिवायचक दर्ज रजिस्टर किए जाने के निर्देश दिए जाते है व साथ ही अप्रार्थीगण को न्यायसंगत विधिपूर्ण समुचित अवसर देते हुए आगामी कार्यवाही अमल में लाए जाने के निर्देश दिए जाते है। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	